कोख पर निगरानी का औचित्य?

प्रमोद भार्गव

गर्भ के पंजीकरण और गर्भ पर निगरानी रखने की कार्यवाही को कानून के दायरे में लाने का सुझाव भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने दिया है। उनका मानना है ऐसा करने से बिगड़ते लिंग अनुपात पर अंकुश लगेगा। लेकिन महिला हितों के पक्षधर संगठन इस सुझाव को पंजीकरण की ओट में महिलाओं से गर्भपात का हक के छीनने की प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं।

गर्भ पर सरकारी निगरानी का महत्व बिगड़ते लिंग अनुपात को बेहतर बनाने की दृष्टि से बताया जा रहा है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों में कई राज्यों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात बहुत कम है। इसका मुख्य कारण कोख में ही स्त्री भ्रूण को नष्ट कर दिया जाना माना जा रहा है।

यह सही है कि बड़ी संख्या में स्त्री भ्रूण कोख में नष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या अकेली स्त्री दोषी है, जो उसे अपने ही शरीर पर अधिकार से वंचित किया जा रहा है? आधुनिक अल्ट्रासाउण्ड तकनीक, इस तकनीक का जायज़-नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले चिकित्सक और परिवार व समाज में स्त्री को दोयम दृष्टि से देखने का नज़रिया क्या कन्या भ्रूण हत्या के लिए दोषी नहीं है? इसके बावजूद इच्छा अथवा अनिच्छा से गर्भपात की पीड़ा भी स्त्री को ही झेलनी होती है। ऐसे में यदि कोख पर पहरेदारी लगा दी जाती है तो मानसिक यंत्रणा भी स्त्री को ही झेलनी पड़ेगी। यह पहरेदारी उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात साबित होगी।

गर्भपात पर निगरानी रखने वाले नए कानून बनें अथवा जो कानून जेंडर आधारित गर्भपात को रोकने के लिए पहले से ही वजूद में हैं, यदि वे अमल में लाए जाते हैं तो उनका दंड अकेली उस स्त्री को ही भोगना होता है, जिसकी कोख में मानव भ्रूण विकास कर रहा है। यदि वह किसी कारणवश अवांछित है (अथवा किसी बलात्कार जैसे दुष्कृत्य की परिणति), तो उसके लिए दोषी पूरा परिवेश होता है न कि केवल गर्भवती महिला। लेकिन उस अवांछित गर्भधारण की ज़लालत, उलाहना एवं प्रताड़ना केवल स्त्री को ही झेलनी होती है।

हाल ही में दक्षिण भारत की कुछ महिलाओं को जेंडर आधारित गर्भपात को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। इन महिलाओं पर आरोप था कि इन्होंने अपनी कोख में पल रहे कन्या भ्रूण को नष्ट कराया है। यहां सोचने वाली बात यह है कि कन्या भ्रूण धारण करने से लेकर उसको नष्ट करने तक क्या अकेली महिला ही दोषी रही है जो उसे दंडित किया गया है? इस दिशा में हस्तक्षेप तभी सार्थक माना जा सकता है जब उत्प्रेरक समूह को भी दंड के दायरे में शामिल किया जाए। क्योंकि परिवार में एक अकेली महिला की इच्छा की कोई अहमियत नहीं होती है।

बिगड़ता लिंग अनुपात इस बात का भी संकेत है कि हमारे देश में आधुनिक विकास की नीतियां, बढ़ता नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और इकाई के रूप में छोटे होते परिवार भी महिला हितों की दृष्टि से खरे व सार्थक साबित नहीं हुए हैं। इसका सटीक उदाहरण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हैं। इन प्रदेशों में आर्थिक समृद्धि भी है, आधुनिक शिक्षा भी और कमोबेश महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी हैं। फिर भी लिंग अनुपात की सबसे ज़्यादा विषमता इन्हीं प्रदेशों में है। इससे भी ज़्यादा

आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि देश के सबसे समृद्ध माने जाने वाले प्रदेश पंजाब में ही वह फतेहगढ़ साहब है जहां लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। यहां 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 754 स्त्रियां हैं। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि लिंग अनुपात के मामले में देश के दस सबसे खराब ज़िलों में से सात पंजाब में ही हैं।

भू-मण्डलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के लाभ-हानि जो भी हों, इतना ज़रूर है कि इनकी उपादेयता स्त्री हित में कतई नहीं रही है। क्योंकि वैश्वीकरण की नीतियां जैसे-जैसे समाज पर प्रभावी हुईं और बाज़ार का दखल बढ़ा, वैसे-वैसे सामाजिक रिश्तों पर भी शिकंजा कसता चला गया और परिणामस्वरूप वर समेत अन्य परिणय सामग्री भी महंगी हुई। नतीजतन कन्या भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देने का प्रचलन भी बढ़ा और इसे मौन सामाजिक स्वीकृति अथवा मान्यता भी मिलती रही।

कोख पर निगरानी बिठाए जाने के पक्ष में एक दलील यह दी जा रही है कि यदि सरकार गर्भ का पंजीकरण करती है, तो स्वाभाविक है कि स्त्री व उसकी कोख में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सरकार की हो जाएगी और प्रसव विशेषज्ञों की देख-रेख में होगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि गर्भवती महिला का उपचार सही ढंग से होगा ही? बतौर बानगी मध्यप्रदेश को ही लें तो यहां वर्तमान में सुरक्षित प्रसव के लिए चार योजनाएं प्रभावशील हैंः जननी सेवा योजना, मातृत्व सुविधा योजना, सुरक्षित प्रसव के लिए परिवहन और उपचार योजना और दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना। बावजूद इसके सरकारी आंकड़े ऐलान करते हैं कि प्रदेश में प्रतिदिन तीस माताओं और अस्सी नवजात शिशुओं की मौत उपचार के अभाव में अथवा उपचार के दौरान लापरवाही के चलते हो रही है।

महिला हितों की पैरवी करने वाले संगठन गर्भ के पंजीकरण को जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भी गैर ज़रूरी मानते हैं। उनका मानना है कि जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए गर्भपात ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो सहज, सरल व सर्वमान्य है। यदि गर्भधारण करते ही पंजीयन की अनिवार्यता के चलते इस पर निगरानी बिठा दी जाएगी तो फिर गर्भपात कराना संभव नहीं होगा और आबादी अनियंत्रित होती चली जाएगी।

वैश्वीकरण के इस दौर में सह-शिक्षा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अविवाहित स्त्री को नौकरी में प्राथमिकता देने का जो दौर चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में भी गर्भ का पंजीकरण स्त्री हितों के विरुद्ध जाता है। क्योंकि कार्पोरेट कंपनियों में काम करते हुए स्त्री यदि चाहे-अनचाहे गर्भधारण कर लेती है तो पंजीकरण की कानूनी शर्त के चलते वह उस गर्भ को नष्ट नहीं कर सकती और अविवाहित मातृत्व को न अभी समाज में स्वीकृति मिली है और न ही भारतीय स्त्री का आत्मबल अभी इतना मज़बूत है कि वह अविवाहित मातृत्व का निर्वाह करने को तत्पर हो जाए। ऐसे में उसके समक्ष क्या विकल्प बचेगा? यदि स्त्री को इस अधिकार से बेदखल किया जाता है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन भी होगा।

वैसे भी यह एक जटिल समस्या है और इसके निराकरण के लिए कई सामाजिक संदर्भों व सरोकारों के औचित्य की पड़ताल करनी होगी, जिससे दंड की भागीदार अकेली स्त्री को न बनना पड़े। ***(स्रोत फीचर्स)***